न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/11/2024	2024/41	24-04-2024	30-01-2025

1. राय खॉं पुत्र गूंगा खां जाति जोगी मुसलमान, निवासी ग्राम नीकच तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा
निर्णय दिनांक 13.03.2024 प्र.सं.
57/24

उपस्थितः—
01—श्री अख्तर हुसैन खां —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के आदेश दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 1984 रकबा 105.42 है0 वाके ग्राम नीकच तहसील नौगांवा भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमित रकबे से बेदखल एवं लगान से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर दिनांक 13.03.2024 प्रकरण संख्या 57/24 विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के एकदम विपरित है जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील न्यायालय तहसीलदार नौगांवा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 13.03.2024 के विरूद्ध है जिससे अपील न्यायालय श्रीमान् के सुनने योग्य है। अपील निर्णय दिनांक 13.03.2024 के विरूद्ध है कि जो नकल के दिन मुजरा देने से अपील अन्दर अवधि पेश है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.02.2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तौर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और अपीलान्ट को गलत तौर से अतिक्रमी बताया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1984 रकबा 105.42 हैक्टेयर कतई तौर पर गैर मुमकिन पहाड नहीं है। बल्कि मौके पर आस पास काफी आबादी बनी हुई है। मिन अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से यानि करीब 40—50 सालों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर अपीलान्ट काबिज रहकर पशुपालन का कार्य करता है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पशु बंधते है तथा चारा आदि भी पशुओं के लिये रखा जाता है। यह कि उक्त खसरा नम्बर में गांव के अन्य लोगो की भी काफी आबादी बनी हुई है जो मौके पर काबिज है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी करार देते हुए जो शास्ती कायम की है वो भी गलत तौर से कायम की है जिससे भी निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अगर अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर दिया गया व शास्ती वसूल करली गई तो अपीलान्ट को भारी हानि होगी व अपीलान्ट के पशु आदि को बांधने में व उनके लिए चारा आदि रखने में काफी परेशानी का सामना करना पडेगा जबकि अपीलान्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

के पास अन्य कोई स्थान पशु बांधने व चारा आदि रखने के लिए नहीं है। अतः श्रीमान् की सेवामें अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 13.03.2024 तहसीलदार नौगांवा अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत तहसीलदार नौगांवा द्वारा अपी0 को अतिक्मी मानते हुये प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्मण किया गया है। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का नीकच मय ताईद भू.अ.नि. वृत धनेटा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1984 रकबा 105.42 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ वाके ग्राम नीकच तहसील नौगांवा में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नीकच अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1984 रकबा 105.42 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ भूमि में से 0.2050 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अपी0 द्वारा उक्त राजकीय आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा का आदेश दिनांक 13.03.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)